न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

<u>एफ एस प्रकरण संख्या</u> :– 06 / 2019

<u>प्रार्थी</u>
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>
रविन्द्र पंवार पुत्र देवीलाल पंवार, फर्म :– मै0 आर्शिवाद आईसक्रिम, पानी की टंकी के सामने, आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी :– एको की पोल, हॉस्पीटल के पीछे, पोकरण, जिला जैसलमेर।

–:<u>आदेश</u> :– दिनांक :–25.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.06.2019 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 आर्शिवाद आईसक्रिम, पानी की टंकी के सामने, आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने के दौरान आईस केण्डी करीबन 150 प्रति 50 ग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त आईस केण्डी 50 ग्राम की कुल 24 कुल 1200 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 24 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा आईसकेण्डी को क्रश कर हिला मिलाकर एक रूप कर सामान्य तापमान पर लाकर चार प्लास्टिक की बोतल में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोटल में 300–300 ग्राम डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 36–36 बून्दे बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोटल को एयर टाइट कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 2080 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 2080 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अ[illegible]ाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 2080 सील चपड़ी किया उसका [illegible] मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:14:50 IST
Reason: SelfAttested

किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईसकेण्डी के चारो बोतल के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–2080 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/452/एक्ट/2019/506 दिनांक 13.06.2019 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आईस केण्डी का नमूना जांच रिपोर्ट मे मिल्क फेट की निर्धारित मानक टोटल शुगर 10.0 प्रतिशत के स्थान पर 5.02 प्रतिशत पाये जाने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया।

अप्रार्थी ने एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एंव 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी दिनांक 17.09.2019 को उपस्थित हुए तथा लिखित में जवाब पेश कर कथन किया कि मेरे द्वारा जो आईसक्रिम बनाई गई उसमें शक्कर की मात्रा 5 प्रतिशत थी जो 10 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। चुंकि मेरे यहां आईसक्रिम बनाने का कार्य मेरे रखे हुए कारीगरों द्वारा किया जाता है। अतः शक्कर की मात्रा उनके द्वारा सही नहीं मिलाई गई। अतः निवेदन है कि इस मामूली और प्रथम गलती के लिये माफ करने की कृपा करे अन्यथा कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि फर्म :– मै0 आर्शिवाद आईसक्रिम, पानी की टंकी के सामने, आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर दिनांक 01.06.2019 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ आईसकेण्डी विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ का नमूना जांच रिपोर्ट मे मिल्क फेट की निर्धारित मानक टोटल शुगर 10.0 प्रतिशत के स्थान पर 5.02 प्रतिशत पाये जाने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एंव 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:14:50 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेशः—

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 506 दिनांक 13.06.2019 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एंव 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का दोषी हैं। अप्राथी रविन्द्र पंवार पुत्र देवीलाल पर पर शास्ती रूपये 15000/— अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर—अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2019/ दिनांक :—
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. रविन्द्र पंवार पुत्र देवीलाल पंवार, फर्म :— मै0 आर्शिवाद आईसक्रिम, पानी की टंकी के सामने, आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी :— एको की पोल, हॉस्पीटल के पीछे, पोकरण, जिला जैसलमेर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:14:50 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.10.17 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: